नकल आदेश वाद संख्या 121 दि0 10/12/2012

न्यायालय उप जिलाधिकारी नवाबगंज, बाराबंकी।

वाद संख्या / 121 / 12–13

अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0
ग्राम जहागीराबाद, परगना व
तहसील नवाबगंज, बाराबंकी।

जहांगीराबाद एजूकेशनल ट्रस्ट जहांगीरबाद बनाम सरकार

आदेश

जहांगीराबाद एजूकेशनल ट्रस्ट जहांगीराबाद परगना व तहसील नवावगंज जनपद बाराबंकी द्वारा ट्रस्टी एस0एम0 आरिफ निवासी जहांगीराबाद एजूकेशनल ट्रस्ट जहांगीराबाद बाराबंकी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0 अधिनियम दिया है जिसमें कहा गया है कि खसरा संख्या 21 मि. नयी गाटा सं0 64 रकबा 0.016 है0, 65 रकबा 0.020 है0, 74 रकबा 1.038 है0, 81 रकबा 0.950 है0, किता 4 कुल रकबा 2.024 हैक्टेयर स्थित ग्राम जहांगीरबाद, परगना व तहसील नवाबगंज जरिए पंजीकृत बैनामा खरीदी गयी तथा राजस्व कामजात में प्रार्थी कें नामान्तरण हो गया। उपरोक्त आराजियात के आसपास आबादी विकासित हो गयी है और मकानात व शैक्षिक संस्थान बने जिसके कारण उक्त आराजी कृषि कार्य हेतु नही रह गयी है। उक्त भूमि को धारा 143ज0 वि0 अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किये जाने हेतु याचना कि गयी है।

इस प्रार्थना –पत्र की जाचं तहसीलदार नवाबगज से करायी गयीं। तहसील की आख्या में कहा गया है कि खसरा संख्या 21 मि. नयी गाटा सं0 64 रकबा 0.016 है0, 65 रकबा 0.020 है0, 74 रकबा 1.038 है0, 81 रकबा 0.950 है0, किता 4 कुल रकबा 2.024 हैक्टेयर स्थित ग्राम जहांगीरबाद, परगना व तहसील नवाबगंज में कृषि, बागबानी, मत्सय, पालन, कुक्कुट पालन आदि कार्य नही हो रहा है। उक्त भूमि को धारा 143 ज0 वि0 अधि0 कं अन्तर्गत अकृषिक घोषित किए जाने की संस्तुति की गयी है।

मैने तहसील की आख्या एवं पतावली पर उपलब्ध खतौनी, आकार पत्र नियम –135 सहित समस्त अभिलेखी का सम्यक् परिशीलन किया। आकार पत्र नियम–135 के विशेष कालम के अनुसार उपरोक्त गाटे पर कोई कृषि कार्य, मत्स्य पालन, बागवानी, कुक्कुट पालन आदि कार्य नही किया जा रहा है। भूमि अकृषिक प्रयोजन में लाई जा रही है। अतएवं इसे अकृषिक भूमि घोषित किया जा सकता है।

अतः ग्राम जहांगीराबाद परागना व तहसील नवाबगंज जनपद बाराबंकी व आकार पत्र–45 के खसरा संख्या 21 मि. नयी गाटा सं0 64 रकबा 0.016 है0, 65 रकबा 0.020 है0, 74 रकबा 1. 038 है0, 81 रकबा 0.950 है0, किता 4 कुल रकबा 2.024 हैक्टेयर माल गुजारी पस्ता खाता अकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त भूमि घोषित किया जाता है। तहसील की जाचं आख्या आदेश का अंग रहेगी। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक नवाबगंज का सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाए। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनांक: 10 / 12 / 2012

(सुनील कुमार चौधरी)
उप-जिलाधिकारी नवाबगंज
बाराबंकी

Copied by
Compared By

सत्य प्रतिलिपि
दिनांक 9/3/2014